समाज कल्याण द्वारा संचालित योजना का विवरण

(विभाग– समाज कल्याण)   दिनांक 09 अगस्त– 2019

मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना :– उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा सामाजिक समरसता की एक अनूठी पहल के रूप में स्थापित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सरकार के कल्याणकारी स्वरूप को सार्थक करती है। जनपद में वर्ष 2019–20 में अबतक कुल 75 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया जा चुका है। जिसमें 07 मुस्लिम जोड़े भी है।

योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तें निम्नवत् है :–

1– आवेदन पत्र ऑफलाइन किया जाना है हार्ड कापी जमा करना होगा।

2– आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय– ग्रामीण क्षेत्र रू0 200000/वार्षिक   शहरी क्षेत्र रू0 200000/वार्षिक

3– वर एवं वधु की आयु क्रमशः न्यूनतम 21 वर्ष एवं 18 वर्ष होनी चाहिए।

4– अनुदान की धनराशि–रू0 35,000/– एकमुश्त कन्या के बैंक खाते में प्रेषित की जायेगी/रू0 10,000/– उपहार के रूप में दी जांयेगी।

5– निर्धन परिवारों के कन्या के विवाह/विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनः विवाह।

6– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ावर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7– विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिवावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
हरदोई।